नए पेराई सीजन में ₹170 होगा गन्ने का एफआरपी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अक्तूबर से शुरू हो रहे नए पेराई सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफएंडआरपी) 170 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह मौजूदा मूल्य से 17 फीसदी अधिक है। उधर, सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका देते हुए विदेशी खाद्य तेलों के वैश्विक मूल्य पर आयात शुल्क लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ना तय है। अभी तक आयात शुल्क निर्धारित टैरिफ वैल्यू पर लगाया जाता था। सरकार ने सेल में अपनी हिस्सेदारी का 10.82 फीसदी हिस्सा बेचने और एक

कैबिनेट के फैसले

- *महंगा हो जाएगा खाद्य तेलों का आयात*
- *अब वैश्विक कीमतों पर लगेगा आयात शुल्क*
- *सेल के विनिवेश को मंजूरी, एफसीआरए पर फैसला टला*

हजार से अधिक क्षमता वाले पावर प्लांट के आयातित उपकरणों पर 21 फीसदी शुल्क लगाने का भी निर्णय किया है। उधर, सेबी की तर्ज पर जिंसों के वायदा बाजार को स्वायत्ता बनाकर और अधिक अधिकार देने वाले फॉरवर्ड कांट्रेक्ट रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) का मामला दूसरी बार भी टल गया है।प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी पेराई सीजन के लिए सरकार ने गन्ने का एफआरपी 17 फीसदी बढ़ाकर 170 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हालांकि मौजूदा समय में गन्ना उत्पादक 13 राज्यों में ज्यादातर गन्ने की खरीद राज्य परामर्श मूल्य के आधार पर होती है। वहीं जो राज्य

एसएपी तय नहीं करते वहां भी गन्ने की खरीद एफआरपी से अधिक होती है। उधर, विदेशी खाद्य तेलों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को वैश्विक मूल्य के आधार पर लगाने का निर्णय किया गया। अभी तक यह शुल्क तय टैरिफ वैल्यू पर लग रहा था। पिछले छह वर्षों से टैरिफ वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अभी तक आरबीडी पॉमोलीन की टैरिफ वैल्यू 484 डॉलर प्रति टन पर फिक्स थी। इसी टैरिफ वैल्यू पर सरकार 7.50 फीसदी की दर से आयात शुल्क वसूल रही थी, लेकिन मौजूदा समय वैश्विक बाजार में आरबीडी पॉमलीन के दाम 1000 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गए हैं। इसके चलते सरकार ने टैरिफ वैल्यू को समाप्त कर वैश्विक कीमत के आधार पर आयात शुल्क लगाने को मंजूरी दे दी है।